Smart City

MISSION TRANSFORM-NATION

# मिशन विवरण और दिशानिर्देश

सत्यमेव जयते

**शहरी विकास मंत्रालय**

**भारत सरकार**

जून 2015

# स्मार्ट सिटीज़

## मिशन विवरण और दिशानिर्देश

सत्यमेव जयते

**भारत सरकार**

शहरी विकास मंत्रालय

(जून, 2015)

# विषय–सूची


01 शहरीकरण की चुनौती ..... 5

02 'स्मार्ट सिटी' क्या है ..... 5

03 स्मार्ट सिटी की विशेषताएं ..... 7

04 कवरेज और अवधि ..... 8

05 कार्यनीति ..... 8

06 प्रस्ताव तैयार करना ..... 9

07 स्मार्ट सिटीज़ के चयन की प्रक्रिया ..... 10

08 प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितने स्मार्ट सिटीज़ हैं? ..... 11

09 स्मार्ट सिटीज़ के चयन की प्रक्रिया ..... 11

10 विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) द्वारा कार्यान्वयन ..... 12

11 स्मार्ट सिटीज़ का वित्तपोषण ..... 13

12 निधियों को जारी किया जाना ..... 14

13 मिशन की निगरानी ..... 15

14 अन्य सरकारी स्कीमों के साथ समाभिरूपता ..... 17

15 चुनौतियां ..... 17


# अनुलग्नक


अनुलग्नक 1 : स्मार्ट सिटी परामर्शी फर्म के लिए कार्यक्षेत्र ..... 21

अनुलग्नक 2 : शहरी जनसंख्या और सांविधिक कस्बों की संख्या के आधार पर राज्यों को आबंटित शहरों की संख्या ..... 23

अनुलग्नक 3 : चुनौती चरण 1 : प्रत्येक राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और पूर्व शर्तें ..... 25

अनुलग्नक 4 : चुनौती चरण 2 : विषय–सूची की सांकेतिक सारणी और मानदण्ड ..... 33

अनुलग्नक 5 : एसपीवी की संरचना और कार्य ..... 37

अनुलग्नक 6 : उपयोग प्रमाण–पत्र का प्रारुप ..... 41

अनुलग्नक 7 : स्मार्ट सिटीज़ के लिए प्राप्तांक ..... 42

# स्मार्ट सिटीज़ मिशन

## 1. शहरीकरण की चुनौती

1.1 शहर, भारत सहित प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन हैं। भारत की लगभग 31% वर्तमान जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (वर्ष 2011 की जनगणना) का 63% है। शहरीकरण में वृद्धि होने से, शहरी क्षेत्रों में भारत की 40% जनसंख्या को मकान मुहैया होने और वर्ष 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 75% होने की संभावना है। इसके लिए भौतिक, संस्थानिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का व्यापक विकास अपेक्षित है। ये सभी विकास और वृद्धि के सूचक की गति को सही दिशा देने के लिए शहरों की ओर लोगों और निवेश को आकर्षित करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

## 2. 'स्मार्ट सिटी' क्या है

2.1 प्रथम प्रश्न यह है कि 'स्मार्ट सिटी' का तात्पर्य क्या है। इसका उत्तर यह है कि एक स्मार्ट सिटी की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अतः स्मार्ट सिटी की अवधारणा विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार के लिए इच्छुक होने और संसाधनों और शहर के निवासियों की आकांक्षाओं के आधार पर शहर–दर–शहर और एक देश से दूसरे देश के मामले में भिन्न है। स्मार्ट सिटी के लिए यूरोप की अपेक्षा भारत में इसका अर्थ अलग होगा। भारत में भी स्मार्ट सिटी को परिभाषित करने का कोई एक तरीका नहीं है।

2.2 मिशन में शहरों के मार्गदर्शन के लिए कुछ परिभाषात्मक सीमाएं अपेक्षित हैं। भारत में शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति की कल्पना में स्मार्ट सिटी की छवि में अवसंरचना और सेवाओं की एक इच्छा सूची निहित होती है, जो उसके आकांक्षा स्तर को व्यक्त करती है। नागरिकों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी नियोजक का समस्त शहरी परिस्थिति को आदर्श रूप में विकसित करने का लक्ष्य होता है जो व्यापक विकास के 4 स्तम्भों – संस्थानिक, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। यह दीर्घकालीन लक्ष्य हो सकता है और शहर ऐसी व्यापक अवसंरचना में वृद्धि करते हुए, 'स्मार्टनेस' के स्तर शामिल करते हुए यह कार्य कर सकते हैं।

2.3 स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण में इसका उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो मुख्य अवसंरचना मुहैया कराते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं, एक स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं और 'स्मार्ट' समाधान लागू करते हैं। सुस्थिर और समावेशी विकास पर जोर है और सघन क्षेत्रों पर ध्यान देने, प्रकृति मॉडल सृजित करने का विचार है जो अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रकाश स्तम्भ, के रूप में कार्य करेगा। सरकार का स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक सक्षम, नई पहल है इसका तात्पर्य ऐसे उदाहरण स्थापित करने से है जो स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोनों ओर परिलक्षित हो सके जो देश के विभिन्न क्षेत्रों और भागों में ऐसे स्मार्ट सिटी का निर्माण करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सके।

2.4 एक स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवसंरचना तत्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

i. पर्याप्त जलापूर्ति,

ii. सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति,

iii. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई,

iv. सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन,

v. विशेषत : गरीबों के लिए किफायती आवास,

vi. सक्षम आईटी कनैक्टिविटी और डिजीटेलाइजेशन,

vii. सुशासन, विषेशत : ई–गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी,

viii. सुस्थिर पर्यावरण,

ix. विशेषत : महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा और,

x. स्वास्थ्य और शिक्षा

2.5 जहां तक स्मार्ट समाधानों का संबंध है एक व्यापक सूची नीचे दी गई है। तथापि, यह सम्पूर्ण सूची नहीं है, तथा शहर और अधिक अनुप्रयोगों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

2.6 तदनुसार, स्मार्ट सिटीज़ मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। क्षेत्र–आधारित विकास स्लमों समेत विद्यमान क्षेत्रों (रिट्रोफिट और पुनर्विकास) को बेहतर नियोजित क्षेत्रों में बदलेगा जिससे संपूर्ण शहर की वास–योग्यता बढ़ेगी। शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही जनसंख्या को स्थान मुहैया कराने के लिए शहरों के आस–पास नए क्षेत्रों (हरित क्षेत्र) को विकसित किया जाएगा। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहरी अवस्थापना और सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी,

जानकारी और आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। इस तरीके से व्यापक विकास, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएगा, रोजगार उत्पन्न करेगा और सभी के लिए विशेष तौर से गरीबों और वंचितों की आय बढ़ाएगा जिससे समावेशी शहरों का मार्ग प्रशस्त होगा।

## 3. स्मार्ट सिटी की विशेषताएं

3.1 स्मार्ट सिटीज़ में व्यापक विकास की कुछ महत्वपूर्ण विषेशताएं इस प्रकार दी गई हैं :

i. भूमि उपयोग को और अधिक सक्षम बनाने के लिए क्षेत्र आधारित विकासों–'अनियोजित क्षेत्रों' के लिए योजना जिसमें कई संगत कार्यकलाप और एक–दूसरे के निकट भूमि–उपयोग शामिल हैं, में मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना। राज्य परिवर्तन को रूपांतरित करने के लिए भूमि उपयोग और भवन उप–नियमों में कुछ ढील दे सकेंगे।

ii. आवास और समग्रता–सभी के लिए आवास के अवसरों का विस्तार करती है और विभिन्न सामाजिक वर्गों में संबद्धता और परस्पर वार्तालाप को बढ़ावा देने हेतु एक सामाजिक मेल–मिलाप उत्पन्न करती है।

iii. निकट में ही इलाके बनाना–भीड़भाड़, वायु प्रदूषण, संसाधन विलोपन कम करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, परस्पर वार्तालाप तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना। सड़क नेटवर्क न केवल वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिए बल्कि पैदल यात्रियों और साईकिल चलाने वालों के लिए बनाया अथवा सज्जित किया जाता है और चलने योग्य अथवा साइकिल से तय की जा सकने वाली दूरी के भीतर आवश्यक प्रशासनिक सेवाएं प्रदान की जाती है;

iv. **नागरिकों की जीवन**–गुणवत्ता बढ़ाने, क्षेत्रों में शहरी गर्मी के प्रभावों को कम करने तथा सामान्यतया पारिस्थितिकी की संतुलन को बढ़ावा देने के लिए खुले स्थानों, पार्कों, खेल के मैदानों और मनोरंजनात्मक स्थानों को परिरक्षित और विकसित करना;

v. भिन्न–भिन्न प्रकार के परिवहन विकल्पों–परिवहनोन्मुखी विकास (टीओडी), सार्वजनिक परिवहन और अन्तिम दूरी पैरा परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना;

vi. **शासन को नागरिक**–अनुकूल और लागत प्रभावी बनाना–जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए उत्तरोत्तर आनलाइन सेवाओं पर निर्भर रहना विशेषतौर से सेवाओं की लागत कम करने के लिए मोबाइलों का उपयोग करना और नगर कार्यालयों में जाए बिना सेवाएं प्रदान करना। लोगों को सुनने के लिए ई–ग्रुप बनाना तथा फीडबैक प्राप्त करना और कार्यस्थलों के साइबर दौरे की सहायता से कार्यक्रमों और कार्यकलापों की आनलाइन मानीटरिंग करना;

vii. **स्थानीय आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला**–कृतियों और शिल्प, संस्कृति खेल की वस्तुओं, फर्नीचर, हौजरी, वस्त्र, डेरी इत्यादि जैसे इसके मुख्य कार्यकलापों के आधार पर शहर को एक पहचान देना;

viii. **अवस्थापना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र**–आधारित विकास के लिए स्मार्ट समाधानों को प्रयुक्त करना; उदाहरणार्थ–क्षेत्रों को आपदाओं से सुरक्षित बनाना, कम संसाधनों का उपयोग करना और सस्ती सेवाएं प्रदान करना।

## 4. कवरेज और अवधि

4.1 यह मिशन 100 शहरों को कवर करेगा और इसकी अवधि पांच वर्ष (वित्तीय वर्ष 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2019–20) होगी। इसके पश्चात् इस मिशन को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए जारी रखा जा सकता है और इस मिशन में अनुभवों को सम्मिलित किया जा सकता है।

## 5. कार्यनीति

5.1 स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र – आधारित विकास के कार्यनीतिक घटक नगर सुधार (रिट्रोफिटिंग), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (हरित क्षेत्र विकास) के अतिरिक्त पैन–सिटी प्रयास जिसमें शहर के बड़े भागों को कवर करते हुए सुव्यवस्थित समाधान (स्मार्ट साल्यूशन) लागू किया जाता है। नीचे क्षेत्र आधारित स्मार्ट सिटी विकास के तीन मॉडल दिये गए हैं:

5.1.1 **रिट्रोफिटिंग** को वर्तमान निर्मित क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अन्य उद्देश्यों के साथ–साथ, योजना में शुरू किया जायेगा, जिससे वर्तमान क्षेत्र को अधिक सक्षम और रहने योग्य बनाया जा सके। रिट्रोफिटिंग में, शहर द्वारा नागरिकों के परामर्श से 500 एकड से अधिक के क्षेत्र को चिन्हित किया जायेगा। चिन्हित क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सेवाओं के वर्तमान स्तर और निवासियों के विजन के आधार पर, शहर को स्मार्ट बनाने के लिए शहर कार्य नीति तैयार करेंगे। चूंकि इस मॉडल में वर्तमान ढांचे अधिकतर यथावत बने रहेंगे, यह प्रत्याशा की जाती है कि रिट्रोफिटेड स्मार्ट शहर में अधिक गहन अवसंरचनात्मक सेवा स्तर और बड़ी संख्या में स्मार्ट–अनुप्रयोग करने पड़ेंगे। यह कार्यनीति अल्प समयावधि में पूरी की जाए जिससे शहर के अन्य भागों पर भी इसका प्रभाव पड़े।

5.1.2 **पुनर्विकास** से वर्तमान निर्मित वातावरण का प्रतिस्थापन किया जायेगा और मिश्रित भू–प्रयोग और संवर्धित घनत्व के प्रयोग द्वारा संवर्धित अवसरंचना के साथ नये ले–आउट को सह–सृजन समर्थ बनाया जायेगा। पुनर्विकास में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा नागरिकों के साथ परामर्श से 50 एकड से अधिक के क्षेत्र का पता लगाने की कल्पना की गई है। उदाहरण के लिए, पता लगाये गए क्षेत्र में, नया ले–आउट प्लान मिश्रित–भू प्रयोग, उच्च एफएसआई, और अधिक भू–कवरेज, के साथ तैयार किया जायेगा। पुनर्विकास मॉडल के दो उदाहरण मुम्बई में सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट परियोजना (इसे भिण्डी बाजार परियोजना भी कहा जाता है) और नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारर्पोशन द्वारा आरंभ किया गया नई दिल्ली में पूर्वी किदवई नगर का पुनर्विकास हैं।

5.1.3 **हरित** क्षेत्र विकास नवीकृत योजना, योजना वित्तपोषण और योजना कार्यान्वयन साधनों (जैसे लैण्ड पूलिंग/भूमिपुनर्गठन) का प्रयोग करते हुए पूर्व में खाली पड़े क्षेत्र (250 एकड़ से अधिक) में सुव्यवस्थित समाधानों को आंरभ किया जायेगा और साथ ही किफायती आवासों का प्रावधान विशेषकर गरीबों के लिए भी किया जायेगा। शहरों के आस–पास के हरित क्षेत्रों का विकास बढ़ रही आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित है। गुजरात में जीआईएफटी शहर इसका सुविख्यात उदाहरण है। रिट्रोफिटिंग और पुनर्विकास से भिन्न हरित क्षेत्र विकास या तो यूएलबी की सीमाओं के भीतर आएगा या स्थानीय शहरी विकास प्राधिकरण (यूडीए) की सीमाओं के भीतर आएगा।

5.1.4 **पैन–सिटी** विकास में वर्तमान शहर–व्यापी अवसरंचना में चुनिंदा सुव्यवस्थित समाधानों के प्रयोग की कल्पना की गई है। स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग में प्रौद्योगिकी, सूचना और डाटा शामिल हैं, जो अवंसरचना और सेवा को उत्तम बनाएंगे। उदाहरणार्थ, परिवहन क्षेत्र में (कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली) स्मार्ट समाधान प्रयोग में लाना और यात्रा समय अथवा नागरिकों की लागत में कमी लाना जिससे उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और नागरिकों के जीवन में गुणात्मक सुधार होगा। एक अन्य उदाहरण अपशिष्ट जल पुनःचक्रण और स्मार्ट मीटर व्यवस्था है जो शहर में बेहतर जलप्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

5.2 प्रत्येक चयनित शहर का स्मार्ट सिटी प्रस्ताव रिट्रोफिटिंग अथवा पुनर्विकास या हरित क्षेत्र विकास मॉडल अथवा उनके मिश्रण को संपुटित करेगा तथा सुव्यवस्थित समाधानों के साथ पैन–सिटी विशेषताएं लिए होगा। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि पैन–सिटी प्रदान किया जाना एक अतिरिक्त विशेषता है। चूंकि स्मार्ट सिटी कम्पेक्ट क्षेत्र दृष्टिकोण अपना रहा है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शहर के सभी निवासी यह महसूस करें कि इसमें उनके लिए भी कुछ है इसलिए कुछ (कम से कम एक) शहर–व्यापी स्मार्ट समाधान की अतिरिक्त अपेक्षा भी स्कीम में की गई है ताकि इसे प्रकृति से समावेशी बनाया जा सके।

5.3 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए, विकास के लिए प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी वैकल्पिक मॉडल–रिट्रोफिटिंग, पुनर्विकास अथवा हरित क्षेत्र विकास–के लिए निर्धारित क्षेत्र का आधा होगा।

## 6. प्रस्ताव तैयार करना

6.1 सरकार स्मार्ट सिटी द्वारा अपनाये जाने के लिए किसी मॉडल विशेष का निर्धारण नहीं करती है। दृष्टिकोण ''वन–साइज–फिट्स–ऑल'' का नहीं है; प्रत्येक शहर स्मार्ट सिटी के लिए अपनी संकल्पना, दर्शन, मिशन और योजना (प्रस्ताव) तैयार करेगा जो उसकी स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों और महत्वाकांक्षाओं के स्तरों के लिए उपयुक्त हों। तदनुसार, वे अपने स्मार्ट–सिटी के मॉडल का चयन करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर देंगे; वे किस प्रकार का स्मार्ट सिटी चाहते हैं? इसके लिए शहर अपने स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) तैयार करेंगे जिनमें विजन, संसाधनों को जुटाने लिए योजना और अवसंरचना उन्नयन और स्मार्ट अनुप्रयोगों के संदर्भ में भावी परिणाम समाविष्ट होंगे।

6.2 एससीपी की अनिवार्य विशेषताएं: यह नोट किया जाए कि यद्यपि एक निश्चित प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है अतः यह आशा की गई है कि एससीपी में पैरा 2.4 तथा 2.5 में प्रकाश डाले गए अवसंरचना सेवाओं तथा स्मार्ट समाधानों की एक बड़ी संख्या को शामिल किया जाएगा। विशेषतः वे तत्व जो एससीपी के भाग होने चाहिए वे हैं:– सौर उर्जा से स्मार्ट सिटी की उर्जा आवश्यकता के कम से कम 10 प्रतिशत के साथ निश्चित विद्युत आपूर्ति, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण तथा वर्षा जल पुनः उपयोग–सहित पर्याप्त जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट–प्रबंधन सहित स्वच्छता, वर्षा जल संचयन, स्मार्ट मीटरीकरण, सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी संपर्क तथा डिजीटलीकरण, पदयात्री अनूकूल पैदलपथ, गैर–मोटरीकृत परिवहन (अर्थात् पदयात्रा तथा साइकिल चलाना) को बढ़ावा देना, बेहतर यातायात प्रबंधन, वाहन– रहित गलियां / क्षेत्र, स्मार्टपार्किंग, उर्जाक्षम सड़क प्रकाश व्यवस्था, खुले स्थानों का नवीन उपयोग, क्षेत्र में दृष्यता सुधार (अर्थात भूमिगत, अतिक्रमण–मुक्त सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ उपरी विद्युत तारों को प्रतिस्थापित करना) तथा नागरिकों विशेषकर बच्चों, महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। शहरों को उनके एससीपी में सुधार के क्रम में इस सूची में और 'स्मार्ट' अनुप्रयोगों को जोड़ना होगा। स्मार्ट शहरों के पुनर्विकास तथा हरित क्षेत्र प्रारूपों के मामले में, उपरोक्त अनिवार्य विशेषताओं के अतिरिक्त कम से कम 80 प्रतिशत भवन उर्जाक्षम तथा हरित भवन होने चाहिए। इस पर अवश्य बल दिया जाना चाहिए कि चूंकि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत शहरों का चयन करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। अतः एससीपी को अतिरिक्त सावधानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित स्मार्ट सिटी को पर्याप्त 'स्मार्ट' बनाया जाए।

6.3 शहर कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया के सिद्धातों का प्रयोग करते हुए स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एससीपी) को तैयार करेंगे और प्रस्ताव में क्षेत्र–आधारित विकास योजनाएं तथा अखिल शहर पहल समाहित होगें। स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) सहयोग पूर्ण है क्योंकि एससीपी तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान सभी सरकारी विभागों, पैरा–स्टेटलों, निजी एजेंसियों तथा नागरिकों के लक्ष्यों तथा धनराशि को मिलाया गया था। यह महसूस किया गया कि स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) को तैयार करने का कार्य काफी चुनौतिपूर्ण है और राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होगी। तकनीकी सहायता लेने के दो मार्ग हैं– परामर्शदात्री फर्मों को किराये पर लेना तथा हैंडहोल्डिंग एजेंसियों को नियुक्त करना।

6.3.1 **परामर्शदात्री फर्म:** शहरी विकास मंत्रालय परामर्शदात्री फर्मों के एक पैनल को तकनीकी रूप से पास करेगा तथा राज्य/संघराज्य क्षेत्र यह पैनल तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। चूंकि यह आवश्यक समझा गया है, अतः राज्य/संघ क्षेत्र टूलकिट में दिए गए टेम्पलेट आरएफपी में इन फर्मों से वित्तीय प्रस्तावों का अनुरोध कर सकते हैं तथा लागू प्रापण नियमों तथा दिशा–निर्देशों के आधार पर चयन करें। स्मार्ट सिटी परामर्शदात्री फर्मों का कार्य–क्षेत्र अनुलग्नक–I में दिया गया है। राज्यों के पास राज्यवित्तीय नियमों के अनुसार पारदर्शी तथा न्याय संगत प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए पैनल के बाहर परामर्शदात्री फर्म की नियुक्ति करने का विकल्प है।

6.3.2 **हैंड होल्डिंग एजेंसियां:** स्मार्ट सिटीज मिशन की तैयारी के दौरान, अनेक विदेशी सरकारों ने तकनीकी सहायता (टीए) प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षी संस्थानों सहित अन्य बाह्य संगठनों के साथ ही साथ घरेलू संगठनों ने शहरी विकास मंत्रालय को सुझाव दिया है कि वे तकनीकी सहायता दे सकते हैं। इन संगठनों में शामिल है– विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, जेआईसीए, यूएसटीडीए, एएफडी, केएफडब्ल्यू, डीएफआईडी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, यूएनआईडीओ आदि। वे संगठन जिन्हें स्मार्ट सिटी विकास के क्षेत्र में अनुभव है, ऐसे संगठन भी एससीपी तैयार करने में हैंडहोल्डिंग एजेंसियों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दे सकते हैं। यह मंत्रालय व्यवस्थाओं के प्रबंध में सहायता करेगा।

## 7. स्मार्ट सिटीज के चयन की प्रक्रिया

स्मार्ट सिटीज के चयन के विभिन्न कदम नीचे दिए गए हैं –

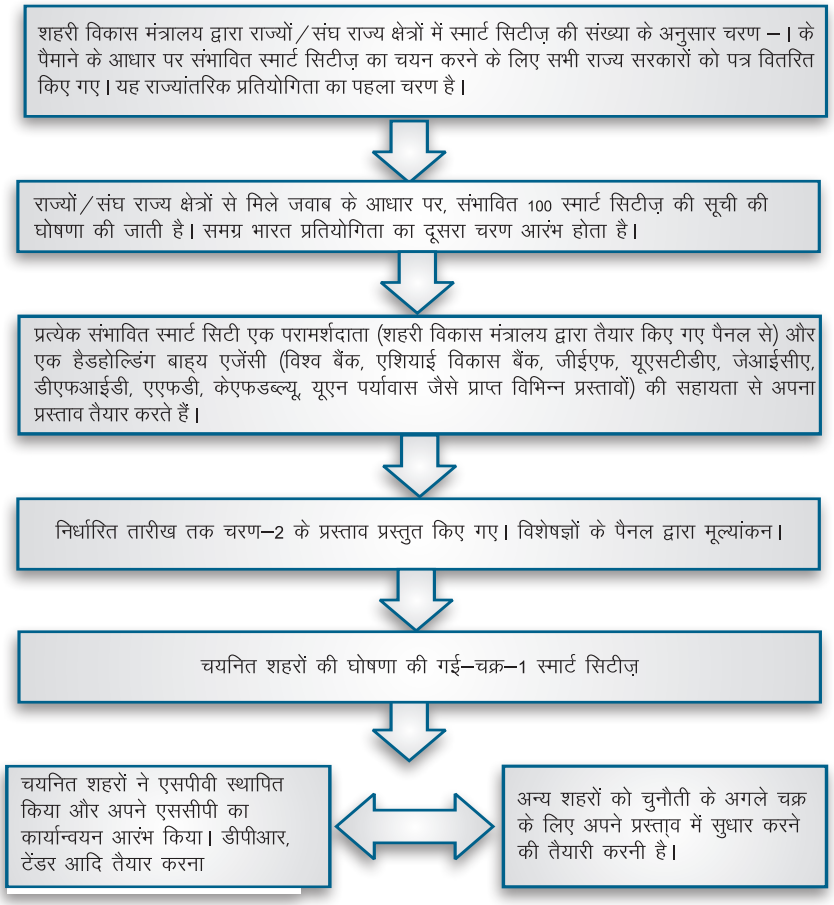

## 8. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितने स्मार्ट सिटीज़ है?

8.1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समान मानदंड के आधार पर कुल 100 स्मार्ट सिटीज़ वितरित किए गए हैं। यह सूत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सांविधिक कस्बों की संख्या को समान वरीयता (50:50) देता है। अतः इस सूत्र के आधार पर, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुलग्नक–2 में दिया गया निश्चित वितरण होता है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संभावित स्मार्ट सिटीज़ की अधिकतम संख्या दर्शायी गई संख्या के अनुसार होगी। (यह वितरण सूत्र अटल शहरी नवीकरण और परिवर्तन मिशन–अमृत के अंतर्गत धन राशियों के आबंटन के लिए उपयोग किया गया है)।

8.2 स्मार्ट सिटीज़ के वितरण की समीक्षा मिशन के कार्यान्वयन के दो वर्ष बाद की जाएगी। चुनौती में राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के निष्पादन के मूल्याकंन के आधार पर, राज्यों के बीच शेष संभावित स्मार्ट सिटीज का कुछ पुनः आबंटन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

## 9. स्मार्ट सिटीज़ के चयन की प्रक्रिया

9.1 प्रत्येक इच्छुक शहर एक स्मार्ट सिटी के रूप में चयन हेतु प्रतिस्पर्धा करता है जिसे 'सिटी चुनौती' कहा जाता है। चयन प्रक्रिया के दो चरण हैं। उपर्युक्त पैरा 8 में रेखांकित किए गए अनुसार, सम्बधित मुख्य सचिवों को संख्या दर्शाए जाने के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित कदम उठाएंगे :–

### 9.1.1 प्रतियोगिता का चरण–I : राज्यों द्वारा शहरों का चयन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, पूर्वशर्तों और चयन प्राप्तांक मानदंड और इसे आबंटित कुल संख्या के अनुसार संभावित स्मार्ट सिटीज़ का कार्य आरंभ करते हैं। प्रतियोगिता का प्रथम चरण राज्यों में होगा, जिसमें राज्य के शहर पूर्व शर्तों और निर्धारित प्राप्तांक मानदंड के आधार पर प्रतिस्पर्धा करेगें। इन पूर्व शर्तों को प्रतियोगिता के प्रथम–चक्र में सफल होने के लिए संभावित शहरों द्वारा पूरा करना होगा और चुनौती के चरण–2 में भाग लेने के लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले संभावित स्मार्ट सिटीज़ का चयन किया जाएगा और सिफारिश की जाएगी। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रेषित सूचना का मूल्यांकन राज्य मिशन निदेशक द्वारा किया जाएगा और इसे राज्य के स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति (एचपीएससी) के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। राज्य उच्च अधिकार संचालन समिति का गठन पैरा 13 में दिया गया है ।

प्रतियोगिता के प्रथम चरण में सफल हो रहे शहरों के नाम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शहरी विकास मंत्रालय को निर्धारित तारीख तक (मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में दर्शाया जाना है) स्मार्ट सिटीज़ की अनुशंसित चयन सूची के रूप में भेजे जाएंगे। राज्य सरकार को प्रपत्र (अनुलग्नक–3 में दिया गया) भरना है और अनुशंसित सूची के साथ भेजना है। इसके बाद शहरी विकास मंत्रालय 100 स्मार्ट सिटीज़ की सूची की घोषणा करेगा।

### 9.1.2 प्रतिस्पर्धा का चरण : चयन हेतु चुनौती का दौर

प्रतिस्पर्द्धा के दूसरे चरण में, संभाव्य 100 स्मार्ट सिटीज़ के प्रत्येक शहर 'नगर चुनौती' में भाग लेने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार करते हैं। यह एक निर्णायक चरण है क्योंकि प्रत्येक शहर के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) में यह आशा की जाती है कि उसमें नियत प्रारूप समाहित हो, चाहे वह रेट्रोफिटिंग हो या पुनर्विकास या हरितक्षेत्र विकास या इनका मिश्रण और इसके अतिरिक्त इसमें स्मार्ट समाधानों के साथ अखिल शहर (पैन सिटी) आयाम शामिल हैं। एससीपी में नगरवासियों तथा अन्य हितधारकों के साथ किए गए परामर्शों को रेखांकित किया जाएगा किस प्रकार एससीपी में समाहित विजन के साथ कैसे आकांक्षाओं को एकरूप किया जाए तथा महत्वपूर्ण रूप से, निजी भागीदारी को आकर्षित करने के लिए राजस्व प्रारूप सहित स्मार्ट योजना के वित्तपोषण के लिए क्या प्रस्ताव है। व्यवसायिक परामर्श के आधार पर शहरी विकास

मंत्रालय ने एससीपी के लिए मूल्यांकन मापदंड तैयार किया है तथा यह शहरों को उनके प्रस्ताव तैयार करते समय मार्गदर्शक का कार्य करेगा। आवेदन के साथ भेजा जाने वाले मापदंड तथा दिशा–निर्देश अनुलग्नक–4 पर दिए गए हैं।

9.1.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी गई निर्धारित तिथि तक इन सभी 100 शहरों के लिए प्रस्तावों को शहरी विकास मंत्रालय में प्रस्तुत करना होगा। इन प्रस्तावों का मूल्याकंन एक समिति करेगी, यह समिति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, संगठनों तथा संस्थाओं का समूह होगा। शहरी विकास मंत्रालय प्रथम चक्र की चुनौती के विजेताओं की घोषणा करेगा। तत्पश्चात, एक तरफ विजेता शहर अपने शहर को स्मार्ट बनाने पर कार्य आरंभ कर देते हैं, और जो चयनित नहीं हुए है, वे शहर दूसरे चक्र में विचार के लिए अपने स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एससीपी) के सुधार पर कार्य प्रारंभ करेंगें। स्मार्ट सिटी प्रस्तावों की प्रकृति तथा प्रथम चक्र की चुनौतियों के परिणामों के आधार पर, शहरी विकास मंत्रालय संभाव्य स्मार्ट सिटीज को उनका दूसरे चक्र आरंभ करने से पूर्व उनके प्रस्तावों के सुधार हेतु हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने का निर्णय कर सकता है।

## 10. विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) द्वारा कार्यान्वयन

10.1 नगर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए सृजित विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के माध्यम से किया जाएगा। एसपीवी स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना, मूल्याकंन, अनुमोदन, निधियां जारी, कार्यान्वयन, प्रबंध, संचालन, निगरानी तथा आकलन करेगा। प्रत्येक स्मार्ट सिटी में एक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) होगा जिसका अध्यक्ष एक पूर्ण कालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) होगा तथा इसके बोर्ड में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा शहरी स्थानीय निकाय के नामिति होंगे। राज्य/शहरी स्थानीय निकाय सुनिश्चित करेंगे कि (क) एसपीवी के लिए एक समर्पित और पर्याप्त राजस्व प्रवाह की व्यवस्था की गई है जिससे इसे स्व–संपोषणीय बनाया जा सके तथा बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अपनी स्वयं की साख विश्वसनीयता विकसित कर सके और (ख) स्मार्ट सिटी के लिए सरकारी योगदान का उपयोग केवल उन्हीं अवसंरचना के सृजन के लिए किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक लाभ निहित हो। राजस्व प्रवाहों के साथ उपयुक्त रूप से परस्परानुबंधित संयुक्त उद्यमों, सहायक कंपनियों, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), टर्नकी संविदाओं, आदि के माध्यम से परियोजनाओं का निष्पादन किया जा सकता है।

10.2 विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) नगर स्तर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित लिमिटेड कम्पनी होगा, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय 50:50 इक्विटी अंशधारक के साथ इसके प्रवर्तक होंगे। एसपीवी में इक्विटी अंश लेने के लिए निजी क्षेत्र अथवा वित्तीय संस्थाओं पर विचार किया जा सकता है यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा शहरी स्थानीय निकाय की 50:50 अंशधारण पद्धति को बनाए रखा गया है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय के पास संयुक्त एसपीवी का अधिकांश अंशधारण तथा नियंत्रण होगा।

10.3 एसपीवी के लिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियां अनुबंधित अनुदान के रूप में होंगी तथा ये अलग अनुदान निधि में रखी जाएंगी। ये निधियां केवल उसी प्रयोजन, जिसके लिए अनुमति दी गई है, तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार प्रयोग में लाई जाएंगी।

10.4 राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय परियोजना के आकार, अपेक्षित वाणिज्यिक वित्त पोषण तथा वित्तीय तौर–तरीकों के आनुषंगिक एसपीवी की प्रदत्त पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण करेंगे। एसपीवी का इक्विटी आधार बनाने तथा इक्विटी पूंजी के उनके अंश के योगदान के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सक्षम बनाने हेतु, भारत सरकार अनुदान एसपीवी में इक्विटी पूंजी के यूएलबी अंश के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु अनुमत हैं जो अनुलग्नक–5 में दी गई शर्तों के अधीन होगी। आंरभ में, एसपीवी के लिए न्यूनतम पूंजी आधार सुनिश्चित करने के लिए, एसपीवी का प्रदत्त पूंजी इतना हो कि शहरी स्थानीय निकाय का

अंश भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई गई निधि की प्रथम किस्त (194 करोड़ रू0) की अधिकतम धन राशि तक इसे बढ़ाने के विकल्प के साथ कम से कम 100 करोड़ रू0 के बराबर हो। राज्य/यूएलबी द्वारा समान इक्विटी योगदान के साथ, एसपीवी की आरंभिक प्रदत्त पूंजी 200 करोड़ रू0 (भारत सरकार (जीओआई) योगदान 100 करोड़ रू0 तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अंश 100 करोड़ रू0) होगी। क्योंकि राज्य सरकार के समान योगदान के साथ–साथ भारत सरकार (जीओआई) का आरंभिक योगदान 194 करोड़ रू0 है अतः आरंभिक प्रदत्त पूंजी एसपीवी के विकल्प के साथ यह 384 करोड़ रू0 तक बढ़ सकता है। प्रदत्त पूंजी को परियोजना आवश्यकताओं के अनुसार बाद के वर्षों में बढ़ाया जाए जिसमें यह सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त प्रावधान किया गया हो कि शहरी स्थानीय निकाय को राज्य/संघराज्य क्षेत्र के समरूप एसपीवी में इसके अंशधारण को समान रखने हेतु सक्षम बनाया जाए है।

10.5 एसपीवी का ढ़ांचा और कार्य अनुलग्नक 5 में दिये गए हैं और संस्था के अंतर्नियमों में ऐसे प्रावधान अन्तर्विष्ट होंगे। टूल–किट में संस्था के अंतर्नियमों का एक नमूना दिया गया है।

10.6 चुनौती के चरण–II में शहरों के चयन के पश्चात, एसपीवी के गठन के साथ ही कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी। जैसा कि पहले बताया गया है, स्मार्ट–सिटी परियोजना के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए एसपीवी को पूर्ण स्वतंत्रता दिये जाने का प्रस्ताव है तथा राज्य/यूएलबी इस प्रयोजन के लिए अनुलग्नक 5 में दिये अनुसार कदम उठाएंगे। एसपीवी क्षेत्र–आधारित परियोजनाओं का डिजाइन बनाने, विकास करने, प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त कर सकता है। एसपीवी शहरी विकास मंत्रालय और हैण्ड–होल्डिंग एजेंसियों द्वारा तैयार की गई सूची में से किसी भी सूचीबद्ध परामर्शी फर्मों से सहायता ले सकते हैं। सामान और सेवाएं प्राप्त करने के लिए, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रियायों का अनुपालन किया जाए जैसा कि राज्य/यूएलबी वित्तीय नियमावली में निर्धारित है। स्मार्ट–शहर परियोजनाओं के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मॉडल ढांचों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

## 11. स्मार्ट–सिटीज़ का वित्तपोषण

11.1 स्मार्ट–सिटी मिशन को एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में चलाया जायेगा और केन्द्र सरकार का आगामी 5 वर्षों में 48000 करोड़ रूपये की सीमा तक मिशन को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है यानी प्रत्येक शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये। इतनी ही राशि का योगदान, समान आधार पर, राज्य/यूएलबी द्वारा किया जायेगा; इस प्रकार, स्मार्ट–सिटी विकास के लिए लगभग एक लाख करोड़ रूपये की सरकार/यूएलबी निधियां उपलब्ध होंगी।

11.2 प्रत्येक स्मार्ट–सिटी प्रस्ताव की परियोजना लागत, महत्वाकांक्षा के स्तर, मॉडल, निष्पादन और पुनर्भुगतान की क्षमता के अनुसार अलग–अलग हो सकती है। यह आशा की जाती है कि स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियों की अपेक्षा होगी और इसके लिए केन्द्र और राज्य दोनों के सरकारी अनुदानों को बढ़ाया जायेगा ताकि आंतरिक और बाहरी स्रोतों से निधियों को आकर्षित किया जा सके। इस उद्यम की सफलता एसपीवी के राजस्व मॉडल की दृढ़ता और ऋणदाताओं और निवेशकों को दी गई सुविधाओं पर निर्भर करेगी। कुछेक राज्य सरकारों ने (जैसे तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार) वित्तीय मध्यस्थों का सफलतापूर्वक गठन कर लिया है जिनका समर्थन लिया जा सकता है और अन्य राज्यों को अपने–अपने राज्यों में इसी प्रकार के गठन पर विचार करना चाहिए। राज्य अथवा ऐसे वित्तीय मध्यस्थ द्वारा किसी प्रकार की गारंटी पर भी, ऊपर उल्लिखित सुविधा के साधन के रूप में, विचार किया जा सकेगा। यह आशा की जाती है कि स्मार्ट सिटी में काफी स्कीमों को पीपीपी आधार पर भी शुरू किया जा सकता है; एसपीवी को अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा।

11.3 भारत सरकार की निधियां और राज्यों/यूएलबी द्वारा समान योगदान परियोजना लागत के एक भाग को ही पूरा कर पायेंगे। शेष निधियां निम्नलिखित से जुटाने की प्रत्याशा है:

i. राज्यों/यूएलबी को अपने स्वयं के स्रोतो से जैसे प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण, लाभार्थी प्रभार और प्रभाव शुल्क, भूमि के मुद्रीकरण, उधार और ऋण आदि।

ii. चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों की स्वीकृति के कारण हस्तांतरित अतिरिक्त संसाधन।

iii. नवीकृत वित्तपोषण तंत्र जैसे यूएलबी की क्रेडिट रेटिंग के साथ नगर पालिका बांड, सामूहिक वित्त तंत्र, कर संवर्धित वित्तपोषण (टीआईएफ)।

iv. केन्द्र सरकार की अन्य स्कीमें जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय)।

v. वित्तीय संस्थानों से, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहित घरेलु और बाह्य दोनो स्रोतो से लीवरेज उधार बढ़ाकर।

vi. राज्य/संघ शासित प्रदेश राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ), जिसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 2015 के अपने बजट भाषण में की गई है और जिसके इसी वर्ष गठन की संभावना है, से भी सहायता ले सकते हैं।

vii. पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र।

11.4 स्कीम के अन्तर्गत निधियों का वितरण इस प्रकार होगाः

i. 93% परियोजना निधि।

ii. राज्य/यूएलबी के लिए 5% ए एण्ड ओ ई निधियां (एससीपी तैयार करने और पीएमसी के लिए, क्षेत्र आधारित विकास से सम्बद्ध प्रायोगिक अध्ययन और सुव्यवस्थित समाधानों का परिनियोजन और सृजन, क्षमता निर्माण जैसा कि चुनौती और ऑन–लाइन सेवाओं में अनुमोदित है)।

iii. शहरी विकास मंत्रालय के लिए 2% ए एण्ड ओ ई निधियां (मिशन निदेशालय और सम्बद्ध कार्यकलाप/संरचना, अनुसंधान, प्रायोगिक अध्ययन, क्षमता निर्माण और समवर्ती मूल्यांकन)।

## 12. निधियों का जारी किया जानाः

12.1 इस चुनौती के प्रथम चरण के पश्चात प्रत्येक संभावित स्मार्ट शहर को एससीपी तैयार करने हेतु 2 करोड़ रूपये की अग्रिम राशि दी जाएगी जो कि शहर के प्रशासनिक एवं परिचालानात्मक व्यय (ए एण्ड ओई) निधि के भाग से लिया जाएगा और इस राशि को शहर के अंश में समायोजित किया जाएगा ।

12.2 प्रथम वर्ष में, प्रत्येक चयनित स्मार्ट सिटी को उच्चस्तरीय प्रांरभिक कार्पस बनाने हेतु सरकार ने 200 करोड़ रूपये देने का प्रस्ताव किया है। 2 करोड़ रूपये की अग्रिम राशि एवं शहरी विकास मंत्रालय के ए एण्ड ओ ई भाग को घटाने के पश्चात प्रत्येक स्मार्ट सिटी को प्रथम वर्ष में 200 करोड़ रूपये में से 194 करोड़ रूपये दिये जाएंगे तथा अगले तीन वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ में से 98 करोड़ रूपये दिये जाएंगे।

12.3 निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने के पश्चात एस पी वी को निधियों की वार्षिक किस्त जारी की जाएगी :

i) शहरी विकास मंत्रालय को प्रत्येक तिमाही का सिटी स्कोर कार्ड समय से प्रस्तुत करना,

ii) वास्तविक एवं वित्त की संतोषजनक प्रगति, जैसा कि उपयोगिता प्रमाणपत्र (अनुलग्नक 6) और

वार्षिक सिटी स्कोर कार्ड (अनुलग्नक 7) में दर्शाया गया है,

iii) एस सी पी में निहित रोडमैप में प्रदत्त लक्ष्य को प्राप्त करना, और

iv) पूरी तरह प्रक्रियाशील एस पी वी जैसाकि निर्देशों एवं संस्था के अंतरनियम में निर्धारित किया गया है। बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि एस पी वी की स्थापना, संरचना, कार्य एवं परिचालन सम्बन्धी सभी शर्ते पूरी हो चुकी हैं जैसा कि पैरा 10 और अनुलग्नक 5 में दिया गया है।

## 13. मिशन की निगरानी

### 13.1 राष्ट्रीय स्तर

शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष कमेटी (एसी) गठित की गई और स्मार्ट सिटी मिशन हेतु प्रस्तावों, उनकी प्रगति की निगरानी एवं निधि जारी करने हेतु सभी संबंधित मंत्रालयों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। यह समिति, जैसा आवश्यक हो, आवधिक रूप से बैठक करेगी। शीर्ष समिति (ए सी) में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

| | | |
|---|---|---|
| i. | सचिव, आवास और गरीबी उपशमन | सदस्य |
| ii. | सचिव (व्यय) | सदस्य |
| iii. | संयुक्त सचिव, वित्त, शहरी विकास मंत्रालय | सदस्य |
| iv. | निदेशक, एन आई यू ए | सदस्य |
| v. | मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन | सदस्य |
| vi. | राज्यों के चुनिंदा प्रधान सचिव | सदस्य |
| vii. | एस पी वी के चुनिंदा सी.ई.ओ. | सदस्य |
| viii. | मिशन निदेशक | सदस्य सचिव |

13.1.1 अध्यक्ष के अनुमोदन से हितधारियों के प्रतिनिधियों जैसे कि यू एन हैबिटेट, विश्व बैंक, टेरी (टी ई आर आई), प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी–डैक), स्मार्ट सिटीज केन्द्र (सी एस सी), बंगलौर अथवा अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एजेंसियों और शहर आयोजना विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।

13.1.2 मिशन के लिए शीर्ष समिति समग्र मार्गदर्शन करेगी और सलाहकार की भूमिका अदा करेगी। इसकी मुख्य जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं।

i. चरण–1 के पश्चात राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए शहरों के नामों की सूची की पुनरीक्षा।

ii. चरण–2 के पश्चात विशेषज्ञों के पैनल द्वारा मूल्यांकित प्रस्तावों की पुनरीक्षा।

iii. कार्यान्वयन में प्रगति के आधार पर निधियां जारी करने का अनुमोदन।

iv. कार्यान्वयन के साधनों में मध्यावधि सुधार की अनुशंसा करना, जब भी अपेक्षित हो।

v. स्कीम की गतिविधियों सहित बजट, कार्यान्वयन अन्य मिशनों/स्कीमों के साथ समन्वय और विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों का तिमाही समीक्षा करना।

13.1.3 एक राष्ट्रीय मिशन निदेशक होगा, जो कि संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पद से नीचे का नही होगा और जो इस मिशन से संबंधित सभी गतिविधियों का संपूर्ण प्रभारी होगा। मिशन निदेशालय विषय से संबंधित विशेषज्ञों और इस प्रकार के अन्य स्टाफ की मदद लेगा जैसा भी आवश्यक समझा जाए। मिशन निदेशालय के मुख्य दायित्व निम्नलिखित होंगे।

i. स्मार्ट सिटीज़ मिशन का अनुकूल ब्लू प्रिंट तैयार करना और विस्तृत कार्यान्वयन के रोडमैप सहित सिटी चैलैंज का विस्तृत डिजाइन तैयार करना।

ii. केन्द्र, राज्य, शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) और बाह्य हितधारियों के साथ समन्वय करना ताकि बाह्य एजेंसियां स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एस सी पी), डी पी आर तैयार करने बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करने, स्मार्ट समाधान तैयार करने आदि के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।

iii. समता निर्माण का अवलोकन तथा एस पी वी, राज्य सरकार और यू एल बी की हैण्डहोल्डिंग में सहायता करना। इसमें सबसे बेहतर प्रक्रिया भंडार (आर एफ पी दस्तावेजों का माडल, डी पी आर का ड्राफ्ट, वित्त मॉडल, भूमि के मुद्रीकरण के विचार, एस पी वी के गठन में बेहतर प्रक्रिया, वित्तीय साधनों का उपयोग, जोखिम को कम करने की तकनीक) और राज्य एवं यू एल बी के बीच जानकारी साझा करने हेतु तंत्र (प्रकाशनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों द्वारा) विकसित करना और उसे बनाए रखना शामिल है।

## 13.2 राज्य स्तर

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) गठित की जाएगी जो अपनी संपूर्णता में इस मिशन का संचालन करेगी। एचपीएससी में राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधि होंगे। स्मार्ट सिटी से संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के महापौर और नगर आयुक्त को एचपीएससी में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक राज्य मिशन निदेशक भी होगा जो राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और वह राज्य सरकार के सचिव के स्तर का अधिकारी होगा। राज्य मिशन निदेशक राज्य एचपीएससी के सदस्य – सचिव के रूप में कार्य करेगा। एचपीएससी का संकेतात्मक गठन इस प्रकार हैः

i. प्रधान सचिव, वित्त।

ii. प्रधान सचिव, योजना ।

iii. प्रधान सचिव/निदेशक, नगर और ग्राम नियोजन विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार ।

iv. शहरी विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि।

v. राज्य में एसपीवी का चयनित सीईओ।

vi. चयनित महापौर और नगर आयुक्त/शहरी स्थानीय निकायों के मुख्य कार्यकारी और संबंधित राज्य विभागों के अध्यक्ष।

vii. सचिव/प्रभारी अभियंता अथवा समतुल्य, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग।

viii. प्रधान सचिव, शहरी विकास–सदस्य सचिव ।

एचपीएससी के मुख्य दायित्व इस प्रकार हैंः

i. मिशन को मार्गदर्शन प्रदान करना और स्मार्ट सिटीज के विकास से संबंधित विचारों के आदान–प्रदान के लिए राज्य स्तरीय मंच प्रदान करना।

ii. चरण– 1 मानदंडों के आधार पर प्रथम स्तरीय के अंतरा–राज्य प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया का निरीक्षण करना।

iii. एससीपी की समीक्षा करना और चुनौती में सहभागिता के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भेजना।

जब कभी यह गठित किया जायेगा ।

### 13.3 शहर स्तर

एक स्मार्ट सिटी परामर्शी मंच को परामर्श देने और विभिन्न हितधारकों में सहयोग के लिए सभी 100 स्मार्ट शहरों के लिए शहर स्तर पर स्थापित किया जाएगा और उसमें जिलाधीश, संसद सदस्य, विधायक, महापौर, एसपीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्थानीय युवा, तकनीकी विशेषज्ञ और उस क्षेत्र से कम से कम निम्न क्षेत्र से एक सदस्य शामिल किया जाएगाः

i. अध्यक्ष/सचिव जो पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता हो,

ii. पंजीकृत कर दाता संघ/दर दाता संघ का सदस्य हो,

iii. स्लम स्तरीय परिसंघ का अध्यक्ष/सचिव हो, और

iv. एक गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) अथवा महिला मंडली/वाणिज्य मंडल/युवा संघों के सदस्य हों।

एसपीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी परामर्शी मंच का संयोजक होगा।

## 14. अन्य सरकारी स्कीमों के साथ समाभिरुपता

14.1 भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक अवस्थापना को एकीकृत करके क्षेत्रों में व्यापक विकास होता है। इस लक्ष्य में सरकार की कई क्षेत्रीय स्कीमें शामिल होती हैं, यद्यपि तरीका भिन्न–भिन्न होता है। शहरी परिवर्तन करने में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) तथा स्मार्ट सिटीज़ मिशन में एक सुदृढ़ अनुपूरकता है। हालांकि अमृत एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण का अनुपालन करता है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक क्षेत्र आधारित कार्यनीति का अनुपालन करता है।

14.2 इसी प्रकार स्मार्ट सिटीज़ मिशन के साथ अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यक्रमों/स्कीमों की समाभिरूपता से अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। योजना स्तर पर ही शहरों को अमृत, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (ह्रदय), डिजिटल इंडिया, कौशल विकास, सभी के लिए आवास, संस्कृति विभाग द्वारा वित्त–पोषित संग्रहालयों का निर्माण तथा स्वास्थ्य अशिक्षा और संस्कृति जैसी सामाजिक अवस्थापना से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रमों के साथ एससीपी में समाभिरूपता प्राप्त की जानी चाहिए। (अनुलग्नक 1)

## 15. चुनौतियां

15.1 यह पहली बार है जब शहरी विकास मंत्रालय का कार्यक्रम 'चुनौती' अथवा वित्त–पोषण के लिए शहरों का चयन करने और क्षेत्र आधारित विकास की एक कार्यनीति का उपयोग करने के लिए चयनित शहरों हेतु प्रतिस्पर्धा पद्धति का उपयोग कर रहा है। इसमें प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद का भाव निहित है।

15.2 राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्मार्ट सिटीज़ के विकास में एक मुख्य सहयोगात्मक भूमिका निभाएंगे। इस सत्र पर स्मार्ट नेतृत्व और विजन तथा निर्णयात्मक रूप से कार्य करने की योग्यता मिशन की सफलता निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण घटक होंगे।

15.3 विभिन्न स्तरों पर नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और हरित क्षेत्र विकास की अवधारणाओं को समझने के लिए क्षमता सहायता अपेक्षित होगी।

15.4 इस चुनौती में सहभागिता से पहले आयोजना चरण के दौरान समय पर और संसाधनों में बड़ा निवेश किया जाना चाहिए। यह पारम्परिक डीपीआर आधारित दृष्टिकोण से भिन्न है।

15.5 स्मार्ट सिटीज़ मिशन में स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है जो शासन और सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लें। नागरिक सहभागिता शासन में एक औपचारिक सहभागिता की अपेक्षा काफी अधिक महत्वपूर्ण है। स्मार्ट लोग अपने आप को स्मार्ट सिटी के विकासों को सुस्थिर बनाए रखने के लिए स्मार्ट सिटी की परिभाषा, स्मार्ट हलों के जरिए निर्णयों, सुधारों के कार्यान्वयन परियोजनोत्तर अवसंरचनाओं के कार्यान्वयन और डिजाइन के दौरान कम चूक करके अधिक कार्य करने में अपने आपको शामिल करते हैं। स्मार्ट लोगों की सहभागिता को आईसीटी, विशेष तौर से मोबाइल–आधारित साधनों का उपयोग बढ़ाकर एसपीवी द्वारा बढ़ाया जाएगा।

# अनुलग्नक

# अनुलग्नक 1

# स्मार्ट सिटी परामर्शी फर्म के लिए कार्यक्षेत्र

परामर्शी फर्म शहरी स्थानीय निकाय और राज्य सरकार के पर्यवेक्षण के अंतर्गत एक स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने में सहायता प्रदान करेगी और इसमें निम्नवत शामिल होंगे,

1. परामर्शी फर्म पूर्व योजनाएं सभी विभागों और एजेंसियों (पुराना और संशोधित सिटी विकास योजना, सिटी स्वच्छता योजना, सिटी मोबिलिटी योजना, मास्टर प्लान) के कार्यकलापों और दस्तावेजों की पुनरीक्षा के आधार पर एक सिटी–व्यापी अवधारणा योजना तैयार करेगी। सिटी–व्यापी अवधारणा योजना में स्मार्ट सिटी अवलोकन (5 वर्षों में शहर अपने आपको कैसे अनुमान लगाता है), मिशन और मुख्य चुनौतियों की पहचान, स्थिति विश्लेषण (वास्तविक, आर्थिक, सामाजिक, कानूनी और संस्थागत अवस्थापना)/शामिल होगें।

2. विस्तृत नागरिक विचार–विमर्श के बाद, एक समग्र नीति तैयार की जाएगी जो स्मार्ट सिटी को परिभाषित करेगी और मिशन दस्तावेजों और दिशा निर्देशों के आधार पर स्पष्ट रूप से उद्देश्यों का उल्लेख करेगी।

3. परामर्शी फर्म द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन विवरण और दिशा निर्देशों के अनुसार चुनौती (प्रतियोगिता) में भाग लेने के लिए एक स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव में रेट्रोफिटिंग अथवा पुनर्विकास अथवा ग्रीनफील्ड मॉडल्स और कम से कम एक पैन – सिटी पहल शामिल होंगे। परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें (i) शहर में आर्थिक विकास (उदाहरण बनाई गई नई नौकरियों की संख्या, आकर्षित नई फर्म, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में उत्पादकता वृद्धि और व्यापक माहौल, शहरी पथविक्रेताओं की पहचान और उनको शामिल करना), और (ii) विशेषतः गरीबों सहित सभी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने (उदाहरणः विनियम समय में कमी, गैर–मोटरीकृत परिवहन का समर्थन, वायु और जल गुणवत्ता में सुधार/जल की आपूर्ति में वृद्धि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग, हरित सार्वजनिक स्थानों में वृद्धि, सुरक्षा में सुधार) पर अधिक संभाव्य प्रभाव होगा।

4. स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में क्षेत्र विकास के लिए तीन वर्गों के आधार पर नीतिगत कार्य योजना शामिल होगा जो निम्नानुसार हैः (क) क्षेत्र विकास (रेट्रोफिटिंग) (ख) शहर नवीकरण (पुनर्विकास) और (ग) शहर विस्तार (ग्रीन फील्ड) और कम से कम एक सिटी कापी (पैन–सिटी) पहल जो वास्तविक, आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत अवस्थापना के लिए स्मार्ट समाधान लागू करेगा। स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग में अवस्थापनाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, सूचना और आंकड़ों का उपयोग शामिल होंगे और गरीब और हाशिए पर खड़े लोंगों के विकास के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रस्ताव का प्रमुख भाग होगा।

5. स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में प्रस्ताव की पूर्ण अवधि के लिए वित्तपोषण योजना शामिल होगी। इस वित्त पोषण योजना परियोजना की पूर्ण अवधि पर पूंजी निवेश और प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए धनराशि जुटाने के आंतरिक (कर, किराया, लाइसेंस और उपभोक्ता प्रभार) स्रोतों की पहचान करेंगे। वित्तीय पोषण योजना 8–10 वर्षों तक परियोजना लागत के पुनर्भुगतान, प्रचालन और अनुरक्षण लागत के लिए स्रोत मुहैया करेगा और शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय सुस्थिरता के लिए संसाधन सुधार कार्य योजना शामिल होगी।

6. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), सभी के लिए आवास, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया जैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर क्षेत्रीय वित्तीय योजनाओं के साथ क्षेत्र योजनाओं का सम्मिलन।

7. प्रस्ताव विकास स्मार्ट नागरिक का सृजन करेंगे। प्रस्ताव में शुरूआत से नागरिक संचालित, नागरिक विचार–विमर्शों से प्राप्त, निवासियों के कल्याण संघ, करदाताओं संघ, वरिष्ठ नागरिकों और स्लमवासी संघों जैसे जन समूहों की सक्रिय भागीदारी शामिल होगी। विचार–विमर्शों के दौरान नागरिकों और जन समूहों के मुद्दों, अवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं की पहचान की जाएगी और नागरिक – संचालित समाधान सृजित करेंगे।

परामर्शी फर्में चुनौती में भाग लेने के लिए स्मार्ट सिटी प्रस्ताव का विकास करेंगी।

## अनुलग्नक 2 : शहरी जनसंख्या तथा सांविधिक कस्बों की संख्या के आधार पर राज्यों को आबंटित शहरों की संख्या

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | शहरों की संख्या |
|---|---|
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 1 |
| आंध्र प्रदेश | 3 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 |
| असम | 1 |
| बिहार | 3 |
| चंडीगढ़ | 1 |
| छत्तीसगढ़ | 2 |
| दमन और दीव | 1 |
| दादर एवं नागर हवेली | 1 |
| दिल्ली | 1 |
| गोवा | 1 |
| गुजरात | 6 |
| हरियाणा | 2 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 |
| जम्मू और कश्मीर | 1 |
| झारखंड | 1 |
| कर्नाटक | 6 |

| | |
|---|---|
| केरल | 1 |
| लक्षद्वीप | 1 |
| मध्यप्रदेश | 7 |
| महाराष्ट्र | 10 |
| मणिपुर | 1 |
| मेघालय | 1 |
| मिजोरम | 1 |
| नागालैंड | 1 |
| ओडिशा | 2 |
| पुडुचेरी | 1 |
| पंजाब | 3 |
| राजस्थान | 4 |
| सिक्किम | 1 |
| तमिलनाडु | 12 |
| तेलंगाना | 2 |
| त्रिपुरा | 1 |
| उत्तरप्रदेश | 13 |
| उत्तराखंड | 1 |
| पश्चिम बंगाल | 4 |
| **कुल** | **100** |

# अनुलग्नक 3 : चुनौती चरण 1 : प्रत्येक राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और पूर्व शर्तें

## पूर्व शर्तें

1. शहर को स्मार्ट बनाने के लिए शपथ–पत्र प्रस्तुत करें (प्रपत्र–1, भाग–3 ),
2. शहर को स्मार्ट बनाने के लिए अन्तर– विभागीय कार्यबल गठित किया जाएगा जिसमें पैरा–स्टेटल निकाय, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), संगठन और शहरी विकास प्राधिकरण (यूएडी) शामिल होंगे (प्रपत्र 1, भाग–4),
3. शहर को स्मार्ट बनाने के लिए निर्वाचित नगर परिषद् का संकल्प (प्रपत्र 2, भाग–5), और
4. शहरी विकास प्राथमिकताओं पर निवासियों के साथ परामर्श (प्रपत्र 2, भाग–6).

## प्राप्तांक के मानदण्ड

स्मार्ट शहरों की योग्यता को मापने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राप्तांक के मानदण्ड नीचे दिए गए हैं तथा चुनौती के चरण–2 में सहभागिता के लिए उनके चयन हेतु उच्चतम प्राप्तांक वाले शहरों के नाम शहरी विकास मंत्रालय को भेजें।

## 1. मौजूदा सेवा स्तर

i. जनगणना 2011 में वृद्धि अथवा पारिवारिक स्वच्छता शौचालयों की संख्या पर स्वच्छ भारत आधार–रेखा जो भी कम हो (प्रपत्र 2, भाग –1) – 10 अंक,

ii. ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली प्रचालनात्मक बनाना जिसमें शिकायतकर्ता को वापस उत्तर भेजा जा सके (प्रपत्र 2, भाग–2) – (हां/नहीं) – 5 अंक,

iii. प्रकाशित कम से कम प्रथम माह ई–न्यूजलैटर (प्रपत्र 2, भाग–3) – (हां/नहीं) – 5 अंक, और

iv. वेबसाईट पर गत दो वित्तीय वर्षों के लिए इलैक्ट्रोनिक रुप से रखी गई परियोजना–वार म्यूनिसिपल बजट व्यय सूचना (प्रपत्र 2, भाग–4) – (हां/नहीं) – 5 अंक।

## 2. संस्थागत प्रणाली/क्षमता

i. सेवा आपूर्ति में विलम्ब हेतु पूरक दंड लगाना शुरू करना (प्रपत्र 2, भाग 7) – (हां/नहीं) – 5 अंक, और

ii. गत तीन वित्तीय वर्षों (2012–15) के दौरान आंतरिक रूप से सृजित राजस्व (उदाहरणार्थ कर, शुल्क, प्रभार) का कुल एकत्रीकरण का बढ़ता रूख दर्शाया गया है (प्रपत्र 2, भाग 8) (हां/नहीं) – 10 अंक ।

## 3. स्व–वित्तपोषण

i. गत माह तक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वेतन का भुगतान (प्रपत्र 2, भाग–9) – 5 अंक,

ii. वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए लेखाओं की लेखा–परीक्षा (प्रपत्र 2, भाग–10) – 5 अंक,

iii. यूएलबी बजट (2014–15 में वास्तविक) के लिए कर राजस्व, शुल्क और प्रयोक्ता प्रभारों, किराया तथा अन्य आंतरिक राजस्व स्रोतों के अंशदान का प्रतिशत– (प्रपत्र 2, भाग 11) – 10 अंक, और

iv. जल आपूर्ति की स्थापना और अनुरक्षण लागत का प्रतिशत जिसे गत वित्तीय वर्ष (2014–15) के दौरान जलापूर्ति के लिए प्रयोक्ता प्रभारों से एकत्र करके पूरा किया जाता है – (प्रपत्र 2, भाग 12) – 10 अंक ।

## 4. पूर्व कार्य–निष्पादन रिकार्ड और सुधार

i. वित्तीय वर्ष (2014–15) के दौरान प्रमुख कार्यों के लिए उपयोग किए गए आंतरिक राजस्व स्रोतों (स्व–अर्जित) के अंशदान का प्रतिशत– (प्रपत्र 2, भाग 13) – 10 अंक,

ii. प्राप्त शहर स्तरीय जेएनएनयूआरएम सुधारों का प्रतिशत (प्रपत्र 2, भाग 14) छः (6) शहरी स्थासनीय निकाय स्तर सुधारों के लिए – 10 अंक और

iii. मूल मिशन अवधि (2012 तक) के दौरान स्वीकृत की गई पूर्ण जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं का प्रतिशत (प्रपत्र 2, भाग 15) – 10 अंक।

## दस्तावेज

प्रपत्र जिनमें राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों से प्रस्तावों को प्राप्त किया जाना है एवं जिनमें इन्हें शहरी विकास मंत्रालय को भेजना है, नीचे दिए गए हैं :

1. प्रत्येक राज्य द्वारा चयनित शहरों की सूची (प्रपत्र 1, भाग–1).
2. प्रत्येक चयनित शहर द्वारा पूरे किए गए चयनित मानदण्डों की घोषणा (प्रपत्र 1, भाग–2) यह प्रपत्र प्रत्येक चयनित शहर के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।.
3. शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए राज्य सरकार का शपथ–पत्र (प्रपत्र 1, भाग–3)
4. अंतर–विभागीय कार्यदल के गठन का आदेश (प्रपत्र 1, भाग–4)

**प्रपत्र–। के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रत्येक चयनित शहरों द्वारा म्युनिसिपल आयुक्त/शहरी स्थानीय निकाय के प्रमुख के हस्ताक्षर से राज्य मिशन निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा (प्रपत्र 2)।**

# प्रपत्र 1

## (राज्य द्वारा शहरी विकास मंत्रालय को भेजे जाने हेतु)

राज्य का नाम : .....

आवंटित शहरों की संख्या : .....

**भाग 1 : प्रत्येक राज्य द्वारा चयन किए गए शहरों की सूची**

| क.सं | शहर का नाम | शहर की जनसंख्या | पूर्व उदाहरण शर्तों की संतुष्टि | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1<br>हां/नहीं | 2<br>हां/नहीं | 3<br>हां/नहीं | 4<br>हां/नहीं |
| | | | | | | |

**भाग 2 : प्रत्येक चयनित शहर द्वारा प्राप्तांकों का ब्यौरा'**

चयनित शहर का नाम :

| क.सं. | मानदण्ड | कुल अंक | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|
| 1 | जनगणना 2011 में वृद्धि अथवा पारिवारिक स्वच्छता शौचालयों की संख्या पर स्वच्छ भारत आधार–रेखा (जो भी कम हो ) | 10 | |
| 2 | ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली प्रचलनात्मक बनाना जिसमें शिकायतकर्ता को वापस उत्तर भेजा जा सके | 5 | |
| 3 | प्रकाशित कम से कम प्रथम माह ई–पत्रिका | 5 | |
| 4 | वेबसाईट पर गत दो वित्तीय वर्षों के लिए इलैक्ट्रोनिक रुप से रखी गई परियोजना–वार म्यूनिसिपल बजट व्यय सूचना | 5 | |
| 5 | सेवा आपूर्ति में विलम्बर हेतु पूरक दंड लगाना | 5 | |
| 6 | गत तीन वित्तीय वर्षों (2012–15) के दौरान आंतरिक रूप से सृजित राजस्व (उदाहरणार्थ कर, शुल्क, प्रभार) का एकत्रीकरण | 10 | |
| 7 | गत माह तक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वेतन का भुगतान | 5 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए लेखाओं की लेखा परीक्षा | 5 | |
| 9 | कर राजस्व , शुल्क और प्रयोक्ता प्रभारों, किराया तथा अन्य आंतरिक राजस्व स्रोतों के अंशदान का प्रतिशत | 10 | |
| 10 | जल आपूर्ति की स्थापना और अनुरक्षण लागत का प्रतिशत | 10 | |
| 11 | वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्रमुख कार्यों के लिए उपयोग किए गए आंतरिक राजस्व स्रोतों (स्व–अर्जित) के अंशदान का प्रतिशत | 10 | |
| 12 | प्राप्त शहर स्तरीय जेएनएनयूआरएम सुधारों का प्रतिशत | 10 | |
| 13 | जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत मार्च, 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं की पूर्णता का प्रतिशत | 10 | |
| **कुल** | | **100** | |

*इस प्रपत्र को प्रत्येक चयनित शहर के लिए भरा जाना अपेक्षित है।

**भाग 3 : राज्य सरकार से शपथ पत्र**

मैं एतदद्वारा पुष्टि करता हूँ कि .....राज्य स्मार्ट सिटी के रूप

में ..... शहर के विकास के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

**भाग 4 : अंतर–विभागीय कार्यदल के गठन का आदेश**

शहर को स्मार्ट बनाने के लिए अंतर–विभागीय कार्यदल जिसमें पैरा–स्टेटल निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास प्राधिकरण शामिल हैं, के गठन के लिए सरकारी आदेश संलग्न है ।

मैं एतदद्वारा यह पुष्टि करता हूँ कि मैने सूचना का सत्यापन किया है और यह सच और सही है। एचपीएससी द्वारा ..... को आयोजित अपनी बैठक में शहर का नाम अनुमोदित किया गया है।

(प्रधान सचिव/सचिव (यूडी))

..... राज्य सरकार

# प्रपत्र 2 – प्राप्तांक

## (शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्यों को भेजे जाने हेतु)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम : .....

राज्य का नाम : .....

मौजूदा सेवा स्तर

**पार्ट 1 : स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित स्वच्छता शौचालयों में वृद्धि**

| | उपलब्धि > 10% | 7.5 से 10 % के बीच उपलब्धि | 5 से 7.5 % के बीच उपलब्धि | उपलब्धि < 5% |
|---|---|---|---|---|
| | 10 अंक | 7.5 अंक | 5 अंक | 0 अंक |
| जनगणना 2011 में वृद्धि अथवा पारिवारिक स्वच्छता शौचालयों की संख्या पर स्वच्छ भारत आधार–रेखा (जो भी कम हो ) | | | | |

**पार्ट 2** : प्रचालनीय ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली

| | हां (5 अंक) | नहीं (0 अंक) |
|---|---|---|
| ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली प्रचालनात्मक बनाना जिसमें शिकायतकर्ता को वापस उत्तर भेजा जा सके | | |

**पार्ट 3** : मासिक ई–पत्रिका

| | हां (5 अंक) | नहीं (0 अंक) |
|---|---|---|
| प्रकाशित कम से कम प्रथम माह ई–पत्रिका | | |

**पार्ट 4** : इलैक्ट्रिोनिक रुप से सक्षम परियोजना–वार म्यूनिसिपिल बजट व्यय सूचना

| | हां (5 अंक) | नहीं (0 अंक) |
|---|---|---|
| वेबसाईट पर गत दो वित्तीय वर्षों के लिए इलैक्ट्रोनिक रुप से रखी गई परियोजना–वार म्यूनिसिपल बजट व्यय सूचना | | |

**पार्ट 5** : निर्वाचित नगर परिषद् का संकल्प

संकल्प संख्या ..... दिनांक ..... (अंग्रेजी/हिन्दी/अन्य पाठ) की एक प्रति संलग्न है।

**भाग 6** : शहर के निवासियों के साथ किए गए वार्ड परामर्शों में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या तारीख और विशिष्ट कार्यसूची के साथ सारणी

| क्र.सं. | तारीख | कार्यसूची | वार्ड संख्या | उपस्थित व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**संस्थागत प्रणाली/क्षमता**

**भाग 7** : सेवा आपूर्ति में विलम्ब हेतु पूरक दंड लगाना

| | हां (5 अंक) | नहीं (0 अंक) |
|---|---|---|
| सेवा आपूर्ति में विलम्ब हेतु पूरक दंड लगाना शुरू करना | | |

**भाग 8** : गत तीन वित्तीय वर्षों (2012–15) के दौरान आंतरिक रूप से सृजित राजस्व (उदाहरणार्थ कर, शुल्क, प्रभार) का एकत्रीकरण

| | वर्ष | | | हां (10 अंक) | नहीं (0 अंक) |
|---|---|---|---|---|---|
| गत तीन वित्तीय वर्षों (2012–15) के दौरान आंतरिक रूप से सृजित राजस्व (उदाहरणार्थ कर, शुल्क, प्रभार) के कुल एकत्रीकरण का बढ़ता रूख | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | | |
| | | | | | |

**स्व–वित्तपोषण**

**भाग 9** : वेतन का भुगतान

| | हां (5 अंक) | नहीं (0 अंक) |
|---|---|---|
| गत माह तक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वेतन का भुगतान | | |

**भाग 10 : लेखाओं की लेखा परीक्षा**

| | हां (5 अंक) | नहीं (0 अंक) |
|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए लेखाओं की लेखा परीक्षा | | |

**भाग 11:** कर राजस्व, शुल्क और प्रयोक्ता प्रभारों, किराया तथा अन्य आंतरिक राजस्व स्रोतों के अंशदान का प्रतिशत

| | शहरी स्थानीय निकाय बजट से अंशदान > 50 % | शहरी स्थानीय निकाय बजट से अंशदान 35% से 50% के बीच | शहरी स्थानीय निकाय बजट से अंशदान 20% से35% के बीच | शहरी स्थानीय निकाय बजट से अंशदान < 20 % |
|---|---|---|---|---|
| | 10 अंक | 7.5 अंक | 5 अंक | 0 अंक |
| शहरी स्थानीय निकाय की बजट संबंधी प्राप्तियों (वर्ष 2014–15 में वास्तविक) के लिए कर राजस्व, शुल्क और प्रयोक्ता प्रभारों, किराया तथा अन्य आंतरिक राजस्व स्रोतों के अंशदान का प्रतिशत | | | | |

**भाग 12** : जल आपूर्ति की स्थापना और अनुरक्षण लागत का प्रतिशत

| | प्रयोक्ता प्रभारों से प्राप्त अनुरक्षण > 80 % | प्रयोक्ता प्रभारों से प्राप्त अनुरक्षण 60% से 80% के बीच | प्रयोक्ता प्रभारों से प्राप्त अनुरक्षण 40% से 60% के बीच | प्रयोक्ता प्रभारों से प्राप्त अनुरक्षण < 40 % |
|---|---|---|---|---|
| | 10 अंक | 7.5 अंक | 5 अंक | 0 अंक |
| गत वित्तीय वर्ष के दौरान जल आपूर्ति के लिए एकत्र प्रयोक्ता प्रभारों के माध्यम से वहन की गई ओ एंड एम लागत प्रतिशत | | | | |

## पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड और सुधार

**भाग 13**: वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्रमुख कार्यों के लिए उपयोग किए गए आंतरिक राजस्व स्रोतों (स्व–अर्जित) के अंशदान का प्रतिशत

| | पूंजीगत कार्य के लिए अंशदान > 20 % | पूंजीगत कार्य के लिए अंशदान 10% से 20% के बीचे | पूंजीगत कार्य के लिए अंशदान 5% से 10% के बीच | पूंजीगत कार्य के लिए अंशदान > 5 % |
|---|---|---|---|---|
| | 10 अंक | 7.5 अंक | 5 अंक | 0 अंक |
| वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्रमुख कार्यों के लिए उपयोग किए गए आंतरिक राजस्व स्रोतों (स्व–अर्जित) के अंशदान का प्रतिशत | | | | |

**भाग 14**: शहर स्तरीय जेएनएनयूआरएम सुधार

| | प्राप्त सुधारों का 100 % | प्राप्त सुधारों का 90 % | प्राप्त सुधारों का 80 % | प्राप्त सुधारों का 80 % |
|---|---|---|---|---|
| | 10 अंक | 7.5 अंक | 5 अंक | 0 अंक |
| प्राप्त शहर स्तरीय जेएनएनयूआरएम सुधारों का प्रतिशत | | | | |

*साइकिल वी रिकार्ड 31.3.2014 के अनुसार

**भाग 15** : जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत मार्च, 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं की पूर्णता

| | पूर्ण परियोजनाओं का 100 % | पूर्ण परियोजनाओं का 90 % | पूर्ण परियोजनाओं का 80 % | पूर्ण परियोजनाएं 80 % से कम |
|---|---|---|---|---|
| | 10 अंक | 7.5 अंक | 5 अंक | 0 अंक |
| मूल मिशन अवधि (मार्च 2012 तक) के दौरान स्वीकृत की गई पूर्ण जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं का प्रतिशत | | | | |

** 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार राज्यों से प्राप्त पूर्णता प्रमाणपत्र के अनुसार

मैं एतदद्वारा यह पुष्टि करता हूँ कि मैंने इस प्रपत्र में प्रस्तुत सूचना .को सत्यापित किया है जो मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है।

**(नगर निगम आयुक्त/यूएलबी, पैरा–स्टेटल का प्रमुख)**

# अनुलग्नक 4 :
# चुनौती चरण 2 : विषय–सूची की सांकेतिक सारणी और मानदण्ड

## 4.1 मानदंड

कुछेक मानदंड जिनका राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के एससीपी का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| क. सं. | मानदंड | अंक |
|---|---|---|
| | नगर स्तरीय मूल्यांकन मानदंड | 30 |
| 1 | क्रियान्वयन की विश्वसनीयता | |
| क. | विगत तीन वर्षों में, भवन के नक्शे का अनुमोदन देने में लिया गया औसत समय, संपत्ति कर मूल्यांकनों और संग्रहणों में वृद्धि, माह में निर्धारित और अनिर्धारित कटौती के संबंध में सार्वजनिक संस्थाओं की प्रचालानात्मक क्षमता में कैसे सुधार हुआ है? क्या एनआरडब्ल्यू/यूएफडब्ल्यू और एटी एवं सी/टी एवं डी हानियां कम हुई हैं? ग्रिड आधारित विद्युत द्वारा कवर की गई जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि? वार्षिक मांग के प्रतिशत के रूप में संपत्ति कर संग्रहण; वाहनों की खोज–खबर रखना, आस–पास के लाईट सेंसर आदि जैसे लागत प्रबंधन कार्यकलाप। | |
| ख. | क्या विगत तीन वर्षों में औसत यातायात भीड़–भाड़ में कमी हुई है, औसत यातायात की गतियों, आवगमन के औसत समय में परिवर्तन हुआ है पदयात्री सुविधाओं में वृद्धि, सार्वजनिक परिवहन में सुधार हुआ और आवगमन की दूरियां कम हुई हैं? | |
| ग. | क्या प्रशासनिक कार्यकुशलता अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार (आईटी एवं सी) का उपयोग करके (1) कर्मचारियों की उपस्थिति लेने, और परिणामस्वरूप उपस्थिति में सुधार (2) लोगों के साथ दो–तरफा सम्प्रेषण स्थापित करने, (3) सांविधिक दस्तावेजों तक बाधा–मुक्त पहुंच बनाने के लिए ई–गवर्नेंस का प्रयोग करने, (4) डैशबोर्ड का विकास करना जो विश्लेषण शास्त्र और मानसदर्शन को एकीकृत करना है जिससे प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ती है और नागरिकों को जानकारी प्रदान होती है, आदि में सुधार हुआ है। | |
| घ. | जल एवं सीवरेज उपयोगकर्ता प्रभार वर्तमान वार्षिक मांग के प्रतिशत के रूप में एकत्रित किए गए। किफायती आवास के लक्ष्यों, पुनर्विकसित, उन्नत स्लमों तथा प्रदान किए गए आवासों के संबंध में क्या उपलब्धि रही है? | |
| 2 | सिटी विज़न और कार्यनीति | |
| क. | स्थानीय लोगों को उनके शहर को और अधिक रहने योग्य बनाने के लिए उनकी जरूरतों, आकांक्षाओं और इच्छाओं में से कितना अच्छा विजन निकलता है? | |
| ख. | जन सेवा प्रदायगी में सुधार लाने और स्थानीय नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को विजन कितना अच्छा स्पष्ट करता है? | |
| ग. | विजन विवरण मुख्य पहलुओं–मुख्य आर्थिक कार्यकलाप, सम्पोषणीयता और समाविष्टता पर प्रभाव का कैसे सार प्रस्तुत करता है? | |

| प्रस्ताव स्तरीय मूल्यांकन मानदंड | | 70 |
|---|---|---|
| 3 | प्रस्ताव का प्रभाव | |
| क. | क्या लक्ष्य नागरिक परामर्श के माध्यम से पता लगाए गए विजन से आते हैं? क्या लक्ष्य मात्रात्मक परिणामों से संबद्ध हैं और सभी परिणाम सूचीबद्ध हैं? क्या ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं? | |
| ख. | क्या इस प्रस्ताव में शामिल पैरा 6.2 में सभी अनिवार्य तत्व दिए गए हैं? क्या सभी तत्वों के लिए सूचक तैयार और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? पैरा 3.1 दी गई स्मार्ट सिटी की कितनी विशेषताओं (i-vii) को शामिल किया गया है और उनकी मात्रा दी गई हैं? | |
| ग. | पता लगाए गए लक्ष्यों को उद्देश्यों से कितना अच्छा जोड़ा गया है और क्या उद्देश्यों के सूचकों पर विशिष्ट निवेशों और कार्यकलापों के लिए योजना बनाई गई है? | |
| घ. | क्या 3 (ग) में उद्देश्यों पर निर्धारित लक्ष्य नागरिक जरूरतों के सदृश हैं जैसा कि परामर्श करने के समय पर पता लगाया गया था? | |
| ड. | इस प्रस्ताव का शहर के प्राथमिक आर्थिक आधार और रोजगार पर क्या प्रभाव है? (उदाहरणार्थ रोजगार और आय में वृद्धि) | |
| च. | यह प्रस्ताव कैसे समावेशी है? इस प्रस्ताव ने गरीबों और वंचितों को कैसे लाभान्वित किया है? | |
| 4 | लागत प्रभावकारिता | |
| क. | क्या इस प्रस्ताव में कार्यान्वयन योजना है? क्या कार्यान्वयन योजना में इसकी तैयारी के दौरान भिन्न प्रौद्योगिकी और शहरी नियोजन विकल्पों जो परिणामों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, का पता लगाया गया है? क्या शहरों ने विकल्पों में से एक विकल्प का चयन किया है? क्या कार्यान्वयन योजना में ''स्मार्ट'' घटक हैं जहां ''चुस्ती'' कम से अधिक करने का उल्लेख करता है, अर्थात किसी कार्य को और अधिक संसाधन सक्षम ढंग से करना (यह संसाधन समय, धन, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि हो सकते हैं? क्या यह प्रस्ताव विद्यमान अवस्थापना का पूरा लाभ उठाता है? कार्यान्वयन योजना में पहलों की समाभिरूपता की क्या सीमा है? क्या कार्यान्वयन योजना में केवल हार्डवेयर क्रय संविदा के बजाय सेवा संविदा के हल शामिल किए गए हैं? क्या जेनेरिक प्रौद्योगिकी विनिर्देशनों का प्रस्ताव किया गया है? | |
| ख. | क्या कोई वित्तीय योजना तैयार की गई है? इस परियोजना के लिए काम में लाए जा रहे धन के अलग–अलग स्रोत क्या है?<br>– केन्द्र सरकार स्मार्ट सिटी अनुदान का % अंश।<br>– निजी क्षेत्र का % अंश।<br>– राज्य/यूएलबी स्रोतों का % अंश।<br>– अनुपूरक केन्द्र सरकार की स्कीमों का % अंश।<br>– अन्य स्रोतों का % अंश। | |

| | | |
|---|---|---|
| ग. | क्या प्रस्ताव वित्तीय रूप से संपोषणीय है? (अर्थात ओ एंड एम लागतों के लिए प्रस्तावित व्यवस्था) | |
| घ. | क्या वित्तीय संकल्पनाओं को सूचीबद्ध कर लिया गया है? वित्तीय संकल्प ना दिये जाने पर, समय–सीमा के भीतर प्रस्ताव कैसे साध्य है? | |
| ड. | क्या प्रस्ताव में किफायती अभियांत्रिकी और नागरिक नवीनीकरण किया गया है? सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जनसमूह स्रोत आईटी के माध्यम से नागरिक नवीनीकरणें की संख्या? | |
| 5 | नवीनीकरण और आरोह्यता | |
| क. | क्या नागरिकों के परामर्श से उत्तम प्रक्रियाओं का पता लगाया और चयन किया गया है? यदि हां, कितनी भली भांति उन्हें अनुकूलित किया गया है? | |
| ख. | क्या परियोजना संपूर्ण शहर अथवा अन्य शहरों के लिए अरोह्य है? | |
| ग. | प्रस्ताव का पर्यावरण और आपदाओं से समुत्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? (अर्थात रिट्रोफिटिंग में हीट–आइलैंडज़ को घटाना)। | |
| घ. | क्या क्षेत्र आधारित और पैन–सिटी विकासों में किसी स्मार्ट समाधान का प्रयोग किया गया है जैसा कि पैरा 2.5 की व्याख्यात्मक सूची में दिया गया है? क्या प्रत्येक प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी विनिर्देशन विकल्प का परीक्षण किया गया और नागरिकों से साझा किया गया है? ये कैसे वांछित लक्ष्य तक पहुंचायेंगे? | |
| 6 | अपनायी गई प्रक्रिया | |
| क. | प्रत्येक कदम सह–सृजन (विचार, कार्यनीतियां, कार्यान्वयन तंत्र और वित्तीय समाधान) के लिए प्रक्रिया का ब्यौरा निम्न के साथ विस्तार से परामर्श के बाद :<br>– नागरिक<br>– समाज के कमजोर वर्गों (विकलांग, बच्चे, वयोवृद्ध आदि)<br>– वार्ड समितियां और क्षेत्र सभा<br>– महत्वपूर्ण नागरिक समूह (संस्थाओं, संगठनों और संस्थाानों से जैसे स्थानीय वाणिज्य मंडल) | |
| ख. | नागरिक परामर्श के दौरान सोशल मीडिया समुदाय, चलशासन का कितना प्रयोग किया गया है? | |
| ग. | कार्यनीति और आयोजना में कितने विरोधी ''मतों'' को स्थान दिया गया? | |

## 4.2 विषयों की निर्देशात्मक तालिका :

आवेदन प्रपत्र और प्रस्ताव प्रारूप संबंधी विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किये जायेंगे। विषयों की निर्देशात्मक तालिका नीचे दी गई है :

i. क्षेत्र और प्रस्ताव की पहचान–रिट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और हरित क्षेत्र विकास।

ii. प्रस्ताव का कार्यक्षेत्र और लक्ष्य।

iii. प्रस्ताव की संकल्पना।

iv. प्रस्ताव का विकास।

v. कार्यान्वयन ढ़ांचा।

vi. प्रस्तावित वित्त पोषण विकल्प और संस्थागत ढ़ांचा।

vii. प्रस्ताव की चरणबद्धता और समय–सीमा।

viii. लाभ और प्रभाव मूल्यांकन।

प्रस्ताव में प्रस्तावों की तुलना के लिए वर्ष–वार लक्ष्य और परिणाम निम्नलिखित तालिका के रूप में दिया जाना चाहिए।

**लक्ष्य :**

| उद्देश्य और कार्याकलाप | निष्पादन संकेत | बेसलाइन (xx तारीख को) | मिशन लक्ष्य | वित्तीय वर्ष के लिए | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पहली छमाही | | दूसरी छमाही | |
| | | | | बेसलाइन से की गई प्रगति | उपयोग की जाने वाली निधियां | बेसलाइन से की गई प्रगति | उपयोग की जाने वाली निधियां |
| उद्देश्य 1 | | | | | | | |
| कार्यकलाप 1 | | | | | | | |
| कार्यकलाप 2 | | | | | | | |
| कार्यकलाप 3 | | | | | | | |
| उद्देश्य 2 | | | | | | | |
| कार्यकलाप 1 | | | | | | | |
| कार्यकलाप 2 | | | | | | | |
| कार्यकलाप 3 | | | | | | | |

(**टिप्पणी**: उक्त सूचना प्रत्येक परियोजना के लिए, परियोजना के पूरा होने तक प्रत्येक छमाही में दी जानी चाहिए।)

# अनुलग्नक 5: विशेष प्रयोजन साधन की संरचना एवं कार्य

## 1. विशेष प्रयोजन साधन की संरचना

शहर स्तरीय विशेष प्रयोजन साधन, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किए जाऐंगे और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से संवर्धित किए जाऐंगे, जिसमें दोनों की 50:50 के अनुपात में इक्विटी शेयरहोल्डिंग होगी। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को हमेशा बनाए रखा जाएगा। विशेष प्रयोजन साधन में इक्विटी हिस्सेदारी लेने के लिए निजी क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों के शेयर एक दूसरे के बराबर हों, और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों की एक साथ विशेष प्रयोजन साधन की बहुमत हिस्सेदारी और नियंत्रण हो (उदाहरणार्थ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश : शहरी स्थानीय निकाय : निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 40:40:20 या 30:30:40 के अनुपात में हो सकती है। 35: 45 : 20 या 40:30:30 जैसे अनुपात अनुमत नहीं है क्योंकि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी समान नहीं हैं। 20:20:60 जैसे अनुपात भी अनुमत नहीं है क्योंकि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों की एक साथ बड़ी हिस्सेदारी नहीं हो सकती है)। इक्विटी के अलावा, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश मिशन के लिए निधि की उपलब्धता और विशेष प्रयोजन साधन की वित्तीय सुस्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी को पूरा करने हेतु अनुदान के रूप में स्मार्ट सिटी मिशन को अपना योगदान मुहैया करा सकते हैं।

## 2. कंपनी द्वारा फण्ड जुटाना एवं उपयोग करना (विशेष प्रयोजन साधन)

केन्द्र सरकार द्वारा विशेष प्रयोजन साधन को दिया गया फण्ड सम्बद्ध अनुदान के रूप में होगा और एक अलग अनुदान फण्ड में रखा जाएगा। इन फण्डों का उपयोग केवल मिशन विवरण एवं दिशानिर्देशों में दिए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय को निम्नलिखित शर्तों के अधीन विशेष प्रयोजन साधन के लिए शहरी स्थानीय निकाय के इक्विटी योगदान के रूप में भारत सरकार के अनुदान को उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध कर सकते हैं :

i. राज्य सरकार ने स्वयं के फण्ड से विशेष प्रयोजन साधन के लिए पर्याप्त योगदान दिया हो।

ii. भारत सरकार के अनुदान तक ही अनुमोदन सीमित होगा जो पहले ही जारी किया गया हो। क्योंकि स्मार्ट सिटी फण्डों की भविष्य की किश्तें निष्पादन के अधीन हैं और इन की गारंटी नहीं हैं, इसलिए शहरी स्थानीय निकाय को अपने इक्विटी योगदान को पूरा करने के लिए भविष्य की किश्तें निर्धारित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

iii. इक्विटी योगदान के रूप में भारत सरकार के अनुदान का उपयोग राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय की सापेक्ष हिस्सेदारी में परिवर्तन नहीं करेगा जो मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार बराबर रहेगी।

iv. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्मार्ट सिटी के लिए भारत सरकार का योगदान वास्तव में अनुदान के रूप में होगा और शहरी स्थानीय निकाय विशेष प्रयोजन साधन के लिए इक्विटी योगदान के रूप में इन फंडों का उपयोग अपने विवेकानुसार कर रहा है।

विशेष प्रयोजन साधन कर्ज, ऋण, उपयोगकर्ता शुल्क, करों, अधिभारों आदि जैसे अन्य स्रोतों से भी फण्डों का उपयोग करेगा।

## 3. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक के अलावा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और स्वतंत्र निदेशक होंगे। यदि आवश्यक समझा जाता है तो अपर निदेशक (जैसे पैरास्टेटल के प्रतिनिधि) को मंडल में लिया जा सकता है। कंपनी और शेयर धारक स्वतंत्र निदेशकों के शामिल होने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधो का स्वेच्छा से पालन करेंगे। नियुक्ति की व्यापक शर्तें एवं विशेष प्रयोजन साधन बोर्ड की भूमिका नीचे दी जाती है।

3.1 विशेष प्रयोजन साधन का अध्यक्ष शहरी विकास प्राधिकरण का प्रभागीय आयुक्त/कलेक्टर/ नगर निगम आयुक्त/मुख्यकार्यकारी होगा जिसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा।

3.2 केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि विशेष प्रयोजन साधन के बोर्ड में निदेशक होगा और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

3.3 विशेष प्रयोजन साधन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और केवल शहरी विकास मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से हटाया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

क. बोर्ड के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन विशेष प्रयोजन साधन के दैनिक कार्यों के सामान्य संचालन की देख रेख और प्रबंध करना।

ख. कंपनी के कारोबार की सामान्य कार्यप्रणाली के भीतर सभी मामलों में कंपनी के लिए और कंपनी की ओर से अनुबंध व्यवस्था करना।

ग. मानव संसाधन नीति तैयार करना और निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना जो स्टाफ के पदों के सृजन, स्टाफ की योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, मुआवजा और समाप्ति प्रक्रिया के लिए क्रियाविधि निर्धारित करेगी।

घ. कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन की भर्ती और निष्कासन तथा कंपनी के अनुमोदित बजट के अनुसार नए पदों का सृजन और बोर्ड द्वारा निर्धारित मानव संसाधन नीति के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती या वृद्धि करना।

ड. कंपनी के सभी कर्मचारियों और प्रबंधकों के कार्य का पर्यवेक्षण तथा उनके कर्तव्य, जिम्मेदारियों और अधिकार का निर्धारण करना;

3.4 कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा रखे गए डेटा बैंक से स्वतंत्र निदेशकों का चयन किया जाएगा और उनको वरीयता दी जाएगी जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के लिस्टिंग समझौते के खंड 49 को पूरा करने वाली कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा कर चुके हों।

## 4. एसपीवी को शक्तियों का प्रत्यायोजन

4.1 स्मार्ट सिटी मिशन हेतु एसपीवी के सृजन के मुख्य कारणों में से एक निर्णय लेने और मिशन क्रियान्वयन में प्रचालनात्मक स्वतंत्रता और स्वायत्ता सुनिश्चित करना है। स्मार्ट सिटी मिशन, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय को निगम अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार सशक्त एसपीवी बनाने के लिए निम्नलिखित उत्तम व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

4.1.1 स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में, नगर पालिका परिषद के अधिकारों और दायित्वों का एसपीवी को प्रत्यायोजन करना।

4.1.2 एसपीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नगर अधिनियम/सरकारी नियमों के तहत शहरी स्थानीय निकाय को उपलब्ध निर्णय लेने की शक्तियों का प्रत्यायोजन करना।

4.1.3 एसपीवी के निदेशक मंडल को जिसमें राज्य और शहरी स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व हो शहरी विकास विभाग/स्थानीय स्व–शासन विभाग/नगर प्रशासन विभाग को उपलब्ध अनुमोदन अथवा निर्णय लेने की शक्तियों को प्रत्योजन करना।

4.1.4 जिन मामलों में राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित हो उन्हें स्मार्ट सिटीज के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) को प्रत्यायोजन करना।

## 5. एसपीवी के प्रमुख कार्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित है :

i. परियोजनाओं को उनके तकनीकी मूल्य–निर्धारण सहित, अनुमोदन और संस्वीकृत करना।

ii. स्मार्ट सिटी प्रस्ताव को संपूर्ण प्रचालनात्मक स्वतंत्रता सहित निष्पादित करना।

iii. स्मार्ट सिटी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय की अपेक्षाओं के लिए अनुपालन के उपाय करना।

iv. समय–सीमा के भीतर संसाधनों को जुटाना और संसाधनों को जुटाने के लिए आवश्यक उपाय करना।

v. तृतीय पक्ष समीक्षा और अनुवीक्षक एजेंसी की रिपोर्ट को अनुमोदन प्रदान करना और उस पर कार्य करना।

vi. कार्य क्षमता निर्माण गतिविधियों का अवलोकन।

vii. शैक्षिक संस्थानों और संगठनों की परस्पर संबद्धता से विकास और लाभ प्राप्त करना।

viii. सुनिश्चित समय सीमा के अनुरूप परियोजनाओं का समय–सीमा का भीतर समापन।

ix. बजट, परियोजनाओं के कार्यान्वयन, और एससीपी की तैयारी और अन्य मिशनों/स्कीमों के साथ समन्वय सहित मिशन की गतिविधियों और विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों की समीक्षा करना।

x. गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित मामलों को मॉनीटर करना और समीक्षा करना और उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर कार्रवाई करना।

xi. स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए यथा समाविष्ठ संयुक्त उद्यमों और सब्सिडियरीज को समाविष्ट करना और सार्वजनिक निजी भागीदारी में प्रविष्ट होना।

xii. स्मार्ट सिटीज़ मिशन के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित संविदाओं, भागीदारियों और सेवा प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं में प्रविष्ट होना।

xiii. शहरी स्थानीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत प्रयोक्ता प्रभारों को निर्धारित करना और एकत्रित करना।

xiv. शहरी स्थानीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत करों, अधिकारों को एकत्रित करना।

उक्त प्रावधान, संस्था के अंतर्नियमों में शामिल किए जाएंगे ।

# अनुलग्नक 6 : उपयोग प्रमाणपत्र का प्रारूप

## उपयोग प्रमाणपत्र का प्रपत्र

| क्र.सं. | पत्र सं. और तारीख | राशि (रू0) | प्रमाणित किया जाता है कि हासिए में दिए गए पत्र संख्या के तहत इस मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत..... .....के पक्ष में वर्ष.....के दौरान स्वीकृत .....रू0 के सहायता अनुदान में से तथा पूर्व वर्ष की अव्ययित शेष राशि ..... ..... रू0 की राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी और यह कि वर्ष के अंत में उपयोग नहीं की गई ..... .....रू0 की शेष राशि सरकार को लौटा (दिनांक ..... ..... की संख्या .....के तहत) दी गई है, अगले वर्ष ..... के दौरान देय सहायता अनुदान के लिए समायोजित की जाएगी। |
|---|---|---|---|
| | **कुल** | | |

प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें सविधिवत रूप से पूरा कर लिया गया है/पूरा किया जा रहा है और यह कि मैंने यह जांच कर ली है कि धनराशि का उपयोग वास्तव में उसी प्रयोजन हेतु किया गया है जिस प्रयोजन के लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

की गई जांच के प्रकार

1.

2.

3.

**(एसपीवी के सीईओ)**

दिनांक : .....

# अनुलग्नक 7 : स्मार्ट सिटीज़ के लिए प्राप्तांक

## मिशन उद्देश्यों की प्रगति

| उद्देश्य और गतिविधियां | यूनिट (%) | बेसलाइन | मिशन लक्ष्य | आज तक लक्ष्य | प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## मिशन के परिणाम

| परिणाम | यूनिट (%) | बेसलाइन | मिशन लक्ष्य | आज तक लक्ष्य | प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|
| माह में निर्धारित विद्युत कटौती | | | | | |
| माह में निर्धारित नहीं कि गई विद्युत कटौती | | | | | |
| गैर–राजस्व जल (%) | | | | | |
| एटी एंड सी हानियां (%) | | | | | |
| मांग के प्रतिशत के अनुसार सम्पत्ति कर का एकत्रीकरण | | | | | |

## संसाधन जुटाना

| संसाधन जुटाना (अंश) | भारत सरकार | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य | | | | |
| | यूएलबी | | | | |
| | अन्य | | | | |

## कार्यान्वयन की स्थिति

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वास्तविक प्रगति | % | लागू नहीं | | | |
| वित्तीय प्रगति | % | लागू नहीं | | | |
| | करोड़ रू. | लागू नहीं | | | |

## वित्त प्रवाह

| भारत सरकार वित्त पोषण | बजट | स्वीकृत | संवितरण | जमा | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**(एसपीवी का सीईओ)**

दिनांक : .....

# स्वच्छता शपथ

महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।

महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया।

अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।

मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा।

हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा।

मैं न गंदगी करूँगा न किसी और को करने दूंगा।

सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरूआत करूँगा।

मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं।

इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगा।

मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊँगा।

वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूँगा।

मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।